श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

क्रमांक : ला.ब.शा. / छात्रावास / 2017–2018 / १५ दिनांक : 25.04.2018

निविदा सूचना
द्वितीय

विषय: सत्र 2018–2019 के लिए विद्यापीठीय–छात्रावास–भोजनालय संचालनार्थ

शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए विद्यापीठीय छात्रावास के भोजनालय हेतु सम्बन्धित कार्य में दक्ष एवं शैक्षणिक आदि संस्थाओं में कम से कम दो वर्ष तक भोजनालय का संचालन करने वाले व्यक्तियों / पंजीकृत संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं। यह भोजनालय जुलाई 2018 से 31 मई 2019 तक चलेगा । भोजन व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होगी शर्तों के पूर्ण न होने तथा विसंगति होने पर समिति द्वारा कभी निरस्त किया जा सकता है।

1. कुल भोजन करने वाले नियमित छात्रों की संख्या 100 छात्र तक।
2. एतिदिन प्रातः एवं सायं दाल, चावल, सब्जी, रोटी पूर्णाहार। (प्याज़–लहसुन रहित) छात्रावास पबन्ध समिति द्वारा निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
3. प्रत्येक रविवार सायं स्पेशल भोजन–खीर, पूड़ी, छोले, पापड़, अचार, परिवर्तित भोजन मटर–पनीर, पालक–पनीर, कढ़ी, रायता आदि (प्याज–लहसुन रहित) / निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
4. भोजनालय सुरक्षित राशि के रुप में रुपये 50,000 / –(रूपये पचास हजार रूपये) कार्यालय में जमा कराना होगा। भोजनालय की कोई भी सामग्री / उपकरण बर्तन आदि टूटने–फूटने व कम होने पर उसकी राशि सुरक्षित धन राशि में से काट ली जायगी।
5. भोजनालय ठेके पर दी गयी पूर्ण अवधि में चलाना होगा। पूर्णावधि में न चलाने पर सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।

हरेराम त्रिपाठी

6. भोजन का समय प्रातः 8.30 से प्रातः 11.30 बजे तक एवं सायं 7.30 से रात्रि 9.30 बजे के मध्य होगा। निर्धारित समय के पश्चात् भोजन नहीं परोसा जायेगा।
7. बाहरी अतिथियों को उपअधिष्ठाता/अधिष्ठाता की बिना अनुमति भोजन कराना सर्वथा निषिद्ध होगा।
8. एक माह में सामान्यतया अवकाश चाहने वाले छात्र का प्रार्थना पत्र एक दिन पूर्व आने पर अधिकतम 7 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा व इस अवधि की भोजन राशि भी बिल में से कम करनी होगी।
9. पूजावकाश/शीतावकाश में लगभग 15–15 दिन का जो छात्र अवकाश लेना चाहेगें उनका उतने दिन का भोजन शुल्क कम करना होगा। इस अवधि में 7 दिन का अवकाश अलग से मान्य नहीं होगा।
10. प्रतिदिन दाल, सब्जी, ऋतु के अनुसार बदलकर देनी होगी।
11. उत्तम स्तर का भोजन देना होगा। आकस्मिक निरीक्षण करने पर यदि भोजन का स्तर ठीक नहीं पाया जायेगा तो ठेकेदारी निरस्त कर दी जायेगी और सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. सभी व्यवस्था छात्रावास अधिष्ठाता/छात्रावास उपअधिष्ठाता के आदेशानुसार करनी होगी।
13. भोजन छात्रों को भोजनालय कक्ष में टेबल पर परोसना होगा।
14. चाय–नाश्ता आदि की व्यवस्था, प्रशासन की लिखित अनुमति लेकर अतिरिक्त रूप से नकद कूपन भुगतान द्वारा कर सकते हैं। दर का निर्धारण कार्यालय द्वारा किया जायगा।
15. नकद कूपन भुगतान द्वारा जितने अतिथि, एक माह में भोजन करेंगे, उतने रुपये कूपन आदि व्यवस्था हेतु 1/– रुपये प्रत्येक अतिथि के हिसाब से छात्रावास खाते में जमा कराने होंगे।
16. छात्रावासीय छात्रों के आगन्तुकों का भोजन, नकद कूपन द्वारा मान्य होगा। अतिथियों हेतु भोजन दर, साधारण/स्पेशल प्राशासनिक स्वीकृति एवं निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी ।
17. छात्रों का भोजनालय होने के कारण भोजनालय में महिला कर्मचारी को रखना पूर्णरूपेण निषिद्ध रहेगा। अर्थात् ऐसा आवेदन अस्वीकार्य होगा।
18. **FSSAI** द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
19. अधिष्ठाता/उपअधिठाता/प्रबन्ध समिति/निरीक्षण समिति के आकस्मिक निरीक्षण में भोजन की गुणवता में कमी होने पर रूपये 500/–1000/– आर्थिक दण्ड अधिठाता निर्धारित कर सकते हैं।
20. भोजनालय अतिस्वच्छ होना चाहिए। अधिष्ठाता/उपअधिठाता/प्रबन्ध समिति/निरीक्षण समिति के अकास्मिक निरीक्षाण में अस्वच्छ पाये जाने पर आर्थिक दण्ड प्रथम बार रुपये 500/–द्वितीय बार रुपये 1000/–का निर्धारण अधिठाता कर दण्डित कर सकते हैं।

हरेराम त्रिपाठी

21 विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है या आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। इसका अधिकार छात्रावास अधिष्ठाता के पास होगा।

22. छात्रावास अधिष्ठाता की अनुमति के बिना बाहर से पका हुआ भोजन लाना तथा ले जाना निषिद्ध होगा ऐसा करने पर आर्थिक दण्ड या ठेकेदारी निरस्तीकरण का अधिकार अधिष्ठाता के अनुशंसा पर विद्यापीठ द्वारा किया जा सकता है।

23 प्रत्येक मास अधिष्ठाता छात्रों की समिति गठित करेंगे तथा मैन्यू का निर्धारण करेंगे। तदनुसार भोजन का निर्माण करना आवश्यक होगा।

24 वासी भोजन कराने पर उस समय के भोजन का मूल्य निरस्त किया जा सकता है,यह अधिकार अधिष्ठाता का होगा। किसी भी परिस्थिति में वासी भोजन परोसना पूर्णतः निषिद्ध होगा।

25. छात्रावास अधिष्ठाता के लिखित तीन बार चेतावनी देने पर भी भोजन की गुणवता में सुधार नहीं किया जाता है तो ठेकेदारी निरस्त कर सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

26 भोजन व्यवस्थापक को प्रबन्ध समिति के बुलाने पर प्रबन्ध समिति के समक्ष तीन बार अनुपस्थित होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

27. यह अनुबन्ध कभी भी एक मास की पूर्व सूचना पर निरस्त किया जा सकता है।

28. भोजनालय में खाना बनाने वाले पाचकों का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य यह कर्मचारियों का आधार कार्ड/पहचान पत्र आदि।

29. खाना परोसने के प्श्चात् प्रति–दिन भोजनालय कक्ष/ पाकशाला कक्ष की साफ सफाई करना अनिवार्य होगा।

30 छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा कभी भी भोजनालय परिसर का निरीक्षण किया जा सकता।

31 ठेकेदार को भोजन के समय भोजनालल में उपस्थित रहना होगा।

विशेष :– अधोलिखित जानकारी संलग्न आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :–

- कैटर्स के मालिक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- फोन नं0 एवं मोबाइल नंम्बर।
- अनुभव प्रमाण पत्रः कम से कम एक सरकारी/स्वायत्तशासी/निजी शैक्षणिक संस्थाओं में दो वर्ष तक 100 व्यक्तियों के भोजन कराने का अनुभव।
- पैन नंम्बर
- कम से कम तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की कॉपी
- आधार कार्ड बैंक खाते का विवरण।

उपर्युक्त विवरण एवं मानकों के अनुसार जो भी व्यक्ति, संस्था ठेकेदारी पर भोजनालय चलाना चाहें वे अपना प्रार्थना पत्र भोजन दर सहित अधोहस्ताक्षरी के

पास मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 30.04.2018 तक मध्याह्न 12 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

नोटः— आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र भी पूरित कर प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायगा तथा अपूर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायगा।

हरेराम त्रिपाठी

(प्रो. हरेराम त्रिपाठी)
अधिष्ठाता—छात्रावास

सूचनार्थ :— प्रतिलिपि

1 अध्यक्ष छात्रावास प्रवेश/प्रबन्ध समिति
2 मुख्य सतर्कता अधिकारी
3 कुलानुशासक
4. कुलपति/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
5 उपकुलसचिव (लेखा/विकास)
6 सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)/प्रशा.
8 सूचनापट्ट विद्यापीठ/ छात्रावास
9 संगणक केन्द्र को,उक्त सूचना विद्यापीठीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।

(प्रो. हरेराम त्रिपाठी)
अधिष्ठाता—छात्रावास

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानितविश्वविद्यालय)
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

सत्र–2018–2019

आवेदन पत्रः– भोजनालय संचालन हेतु–संचालक ठेकेदार का विवरण।

फोटो

1. नाम..
2. पिता का नाम...
3. जन्म तिथि..
4. स्थाई पता...
   ....
5. वर्तमान पता...
   ....
6. टेलीफोन नं0..............................मोबाईल नं0...
7. भोजनालय की मासिक दर रुपये..

निम्नलिखित जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंः–

- अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी/ स्वायत्तशासी/निजी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य करने के अनुभव की अवधि।
- यदि विद्यापीठ में कार्य किया हो तो उसकी अवधि एवं संस्तुति प्रमाण पत्र।
- पैन नं0
- आयकर रिटर्न की कापी
- परिचयपत्र–निर्वाचन कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किसी एक की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र/वर्तमान निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड की प्रति

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक..........................